

## नक्सलवाद : एक समस्या

अजय कुमार सोनकर<sup>1</sup>

<sup>1</sup>प्रवक्ता, समाजशास्त्र विभाग, आर वार्ड जी कृषक पी0जी0 कालेज ताखा शाहगंज, जौनपुर, उ0प्र0, भारत

### पूर्वपीठिका

*कुण्ठा की दूसरी अभिव्यक्ति होती है, आक्रामकता में, विद्रोह में। अभावबोध, उपेक्षा, साधनहीनता, विपन्नता, सामाजिक निम्न स्तरीयता, साधन सम्पन्न वर्गों द्वारा भेदमूलक एवम् हेयतापरक व्यवहार जैसी समस्याओं से जूझते व्यक्ति, समूह एवं समुदाय अपना अलग संगठन बना लेते हैं। 'मरता क्या न करता' की मानसिकता लेकर निकल पड़ते हैं, घर से ऐसे लोग, सर पर कफन बाँधकर। ऐसे लोग ही नक्सली आतंकवाद की राह के पथिक बन जाते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में इस ज्वलन्त समस्या के समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रयास किया गया है।*

सोचते हैं संघर्ष में मृत्यु हो गयी तो समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और संग्राम में विजय मिली तो समस्याओं का समाधान मिलेगा। आक्रामकता और विद्रोह की इस ज्वाला को बढ़ाती है, ईर्ष्या और द्वेष जैसी मनोवृत्तियाँ। नक्सली आतंकवाद के सेनानी सोचते हैं जब हमारे परिवार के सदस्य भूख की ज्वाला से तड़प रहे हैं तो साधन सम्पन्न परिवार के लोग गुलछर्रे क्यों उड़ाएँ? हम तड़प रहे हैं तो वे भी तड़पें अन्यथा हमारे लिए भी सरकार रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा सुनिश्चित करे। चूँकि साधन विहीन लोगों की संख्या पिछड़े क्षेत्रों में अधिक होती है। अतः भारी संख्या में लोग नक्सली आतंकवाद के जुलूस में शामिल हो जाते हैं, सरोवर से सागर हो जाता है, तिल से ताड़ हो जाता है, ढूँह से पहाड़ हो जाता है। यहाँ माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय विस्तार का सिद्धान्त लागू होता है। (योजना, 2010)

आक्रामकता और विद्रोह की वृत्ति पर अंकुश लगाने अथवा उसे बढ़ावा देने के लिए स्थानीय संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कृतियाँ दो प्रकार की होती है। आध्यात्म प्रधान और लोक प्रधान। आध्यात्म प्रधान संस्कृतियाँ विपन्नता, साधनहीनता को श्रेयस्कर और भौतिक सम्पन्नता को हेय मानती हैं। उनकी दृष्टि में विपन्नता एवं साधनहीनता परमलक्ष्य की प्राप्ति में साधक होती है जबकि भौतिक सम्पन्नता इस लक्ष्य की सिद्धि में बाधक बनती है। आध्यात्म प्रधान संस्कृति में विपन्नता एवं साधनहीनता को ईश्वरेच्छा के रूप में स्वीकार किया जाता है। संतोष परम सुखम् ही आध्यात्म प्रधान संस्कृति का महावाक्य है। जाहि विधि राखै राम वाही विधि रहिए इस संस्कृति का महामंत्र है। आध्यात्मप्रधान सांस्कृतिक जलवायु में विपन्नता साधनहीनता, सामाजिक अन्याय एवं शोषण के प्रति विद्रोह का विरवा पहले तो उगता ही नहीं और यदि उगता भी है तो सांस्कृतिक प्रतिकूलता के कारण वह शैशवकाल मे ही मुरझा जाता है। आध्यात्मप्रधान संस्कृतियों के धारक विपन्नता, साधनहीनता,

सामाजिक अन्याय जैसे स्थितियों को झेलते हुए उसके विरुद्ध आक्रामकता एवं विद्रोह का मार्ग न अपनाकर उससे अभियोजन कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में अध्यात्म प्रधान संस्कृति, सामाजिक अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध उदीयमान जनरोष को नियंत्रित, अनुकूलित एवं अंकुशबद्ध करती रही है। लोकप्रधान संस्कृति में स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। लोक प्रधान संस्कृति अपने धारकों को, सामाजिक अन्याय, शोषण, साधनहीनता, विपन्नता आर्थिक विषमता के विरुद्ध भड़काती रहती है उन्हें विद्रोह एवं आक्रामकता के लिए उकसाती रहती है। उल्लेखनीय है कि नक्सली आतंकवाद लोकप्रधान संस्कृति से नक्सली आतंकवाद को खुला समर्थन मिलता रहता है।

1968 में पश्चिम बंगाल मे दार्जिलिंग जिला स्थित ग्राम नक्सलबाड़ी में जल, जंगल और जमीन को लेकर पनपा अतिवादी भारतीय साम्यवादी आन्दोलन अब दावाग्नि, बड़वानल और आंधी-बवंडर का रूप ले चुका है। भारत के 629 जिलों में 235 जिलों में यह आन्दोलन पसर चुका है। (समसामयिक घटनाचक्र, 2010) इस आन्दोलन के लगभग 21000 सशस्त्र एवं प्रतिबद्ध लड़ाके हैं तथा लाखों समर्थक हैं। इस साम्यवादी आन्दोलन की खास बात यह है कि इसे भारत सहित पूरी दुनियाँ में बौद्धिक तबके का समर्थन प्राप्त होता रहा है। भारत में नक्सलवादी आन्दोलन के जनक 'चारु मजूमदार' थे जो जमींदार परिवार से थे। वर्तमान में गिरफ्तार माओवादी नेता 'कोबाडघंडी' दून स्कूल शिक्षित और लंदन से एकाउंटेंसी में प्रशिक्षित है। उच्च बौद्धिकता के धनी ये सभी साम्यवादी सशस्त्र संघर्ष को अनिवार्य आवश्यकता मानते हैं। वस्तुतः माओ दर्शन 'परिवर्तन बन्दूक की नली के माध्यम से आना चाहिए' के सिद्धान्त पर आधारित है। माओवादी समर्थक साम्यवादी आन्दोलन के अनुगामियों की सशस्त्र संघर्ष की नीति ही एक लम्बे समय से देश के सुरक्षा प्रतिष्ठानों के साथ उनके संघर्ष का कारण है।

नक्सलवादी समस्या कई दशकों से चली आ रही है किन्तु इन समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का सार्थक प्रयास अभी तक नहीं किया गया जिनसे यह चुनौती उत्पन्न हुई है। भूमि सुधार नियमों का बेमन से अमल, आदिवासी जनकल्याण योजनाओं के लाभ से वंचित जर्जर आम जनता या फिर भोले-भाले आदिवासियों की जमीनों को औने-पौने दामों में खरीदने की गैर आदिवासियों की कोशिश, आय एवं धन के वितरण पर उच्च वर्गों का प्रभुत्व, सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी के साधन पर कम मजदूरी का दिया जाना, ग्रामीण बेरोजगारी साथ ही पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आए भ्रष्टाचार से मजदूरों एवं निर्धन किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। इससे नफरत और संघर्ष की भावना और अधिक प्रबल हुई है।

उल्लेखनीय है कि नक्सलवादी आतंक को समाप्त करने या कम करने हेतु सरकारी स्तर पर भी प्रयास जारी है। गृह मंत्रालय की 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए क्षेत्र में रक्षा, विकास, प्रशासन और लोक अवबोधन प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष ध्यान देकर एक समग्र रणनीति अपना रही है। (इण्डिया टुडे, नवंबर 2011) सरकार का दृष्टिकोण एवं नीति यह है कि नक्सल समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए एक पूर्णतया पुलिस एवं सुरक्षा उन्मुखी नीति पर्याप्त नहीं है। उग्रवादियों के विरुद्ध प्रो-एक्टिव एवं सतत् अभियान चलाना आवश्यक है और इसके लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए साथ ही विकास एवं सुशासन मुद्दों पर विशेषकर निचले स्तर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र में समयबद्ध कार्यवाही योजना के अनुरूप स्वास्थ्य शिविर लगाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन करने, पेयजल सविधाओं एवं अन्य जरूरतों की व्यवस्था करने तथा साथ ही साथ समग्र विकास के मध्यम एवं दीर्घावधि उपाय करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में पिछड़ा जिला पहल, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्यमिशन योजना और सर्वशिक्षा अभियान आदि के अन्तर्गत भारीमात्रा में निधियाँ उपलब्ध हैं और इनसे उन समस्याओं एवं स्थितियों का शमन किया जा सकता है जिनका नक्सली फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। नक्सली हिंसा के प्रसार एवं प्रवृत्ति के एक विस्तृत विश्लेषण के आधार पर 7 राज्यों के 35 गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित जिलों को विकास योजनाओं के नियोजन कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए चुना गया है। (योजना, दिसं 2012) नक्सली स्थिति से निपटने की प्राथमिक

जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें समन्वित प्रयास करने पड़ते हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की विभिन्न समीक्षाओं में राज्य सरकारों को निम्नलिखित उपाय करने के सुझाव दिए गए हैं:-

1. विशेषकर नक्सली हिंसा से प्रभावित जिलों और क्षेत्रों में जिला स्तर और थाना स्तर पर मौजूदा रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए समयबद्ध कार्यवाही करना।

2. नक्सली क्षेत्रों में तैनात कर्मियों के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन देना और इन क्षेत्रों में तैनात लोगों के लिए रोटेशन नीति तैयार करना।

3. राज्य पुलिस के एक समुचित संघटन को विशेष कमांडो/जंगल युद्ध कौशल का प्रशिक्षण देना।

4. यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल बिजली, राजस्व एवं अन्य विकास विभागों के कार्यकर्ता आम जनता को आसानी से उपलब्ध हो सकें और आम जनता की उन तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

5. आम जनता का स्थानीय प्रशासन तंत्र में विश्वास सृजित करने और समग्र सकारात्मक माहौल बनाने के लिए लोक शिकायत निवारण, बहु-सम्पर्क एवं सार्वजनिक जन जागरूकता के लिए तंत्र बनाना।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नक्सलवादी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का जो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। उसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता। अतः इस समस्या के समाधान हेतु संतुलित तरीके से समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। नक्सलवादी हिंसा का रास्ता छोड़ें सम्बन्धित राज्य प्रशासन भूमि सुधारों को सत्यनिष्ठा के साथ लागू करें, सामाजिक विषमता दूर करें, और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उन सभी लोगों को प्राप्त करवाएँ।

#### सन्दर्भ

योजना अंक 10 मार्च 2013

योजना अंक 11, फरवरी 2010

इण्डिया टुडे अंक जुलाई 2013

प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2012

समसामयिक घटनाचक्र, दिसम्बर, 2011

आउटलुक सितम्बर 2013